

संशोधित

कार्यालय - प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail: csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 2163 / 12-1 दिनांक,

अल्मोड़ा, 10/12/2024

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग (भाग-1) के निर्माण हेतु 2.705 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० 2546 / 1जी० 5057 (अ०सै०स्वी०अनु०) देहरादून दिनांक 09.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की दरों को पुनरिक्षित किया गया है। एन०पी०वी० की पुनरिक्षित नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा की जानी है।

अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है-

1. ईको क्लास श्रेणी	Vth
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	0.4 (40 प्रतिशत)
3. एन०पी०वी० की दर (प्रति है०)	1292850.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	2.705
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	3497159.00
6. पूर्व में जमा की गयी एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	2539995.00
7. वर्तमान में देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	957164.00

(नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र)

उक्तानुसार एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। डिमांड नोट नोडल कार्यालय से सत्यापित किये जाने के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है। अतः आप उक्त एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि जमा करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

पत्रांक 2163 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।